कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्याः **F-21013/1/2025-FA-8** दिनांकः 18-02-2025

परिपत्र

विषयः जीपीएफ (GPF) अंतिम भुगतान की राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु।

सभी लेखा इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि GPF के अंतिम भुगतान में विलंब को कम करने के लिए प्रक्रिया को गंभीरता से संज्ञान में लें। साथ ही यह सुनिश्चित करें की सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी/अधिकारी का अंतिम भुगतान हेतु फॉर्म A-118 को सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व संपूर्ण रूप से भरकर मुख्यालय को प्रेषित करें।

जीपीएफ खाताधारक की मृत्यु एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में संबंधित लेखा इकाई को खाताधारक की मृत्यु/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजनी होगी, जिससे संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के खाते की जांच ERP से separation से पूर्व समय रहते की जा सके।

साथ ही, सभी लेखा इकाइयां इस वित्तीय वर्ष एवं भविष्य के वित्तय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची, संबंधित आदेश की प्रति सहित, शीघ्रातिशीघ्र मुख्यालय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि जीपीएफ का अंतिम भुगतान अविलंब किया जा सके।

GPF final settlement आवेदन हेतु ERP Module के संदर्भित दस्तावेज़ में **"HRMS 2.0_GPF Final Settlement"** शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। GPF final settlement की प्रक्रिया ऑनलाइन ERP Module के माध्यम से ही की जानी चाहिए। यदि GPF final settlement करने से पूर्व GPF शेष राशि में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो, तो **वित्त एवं लेखा शाखा-8, ESIC मुख्यालय** से संपर्क करना सुनिश्चित करें।

इस ज्ञापन के साथ Form A-117 (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में) एवं Form A-118 की प्रतियां संलग्न है। लेखा इकाईयों से यह भी अनुरोध है कि GPF अंतिम भुगतान से संबंधित सहायता के लिए ESIC की वेबसाइट पर प्रकाशित Manual of Audit & Accounts Vol.-1 2023 Fourth Edition के Chapter 21.7 एवं Manual of Audit & Accounts Vol.-2 (Forms & Appendices) 2023 Fourth Edition का संदर्भ लें।

सभी संबंधित लेखा इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें।

(सत्यजीत कुमार)
संयुक्त निदेशक (वित्त)

Digitally signed by Satyajit Kumar
Date: 18-02-2025 15:25:28

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी (NTA), द्वारका, दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सभी डीन/चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), क.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज/ अस्पताल/ मॉडल अस्पताल।
5. वैबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय -निगम वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।